10530
11.10.17

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
:: *संकल्प* ::

कृपया पढ़े :–

1. उपायुक्त, पलामू का पत्रांक–1790 / गो0, दिनांक 16.07.2011
2. प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर का पत्रांक–1230, दिनांक 11.09.2012
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का विभागीय पत्रांक–11171, दिनांक 01.10.2012 विभागीय पत्रांक–993, दिनांक 01.02.2013 विभागीय संकल्प सं0–4943, दिनांक–08.05.2013 विभागीय पत्रांक–6316, दिनांक 18.05.2017 एवं पत्रांक–7649, दिनांक 29.06.2017
4. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–486, दिनांक 22.09.2015
5. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2095, दिनांक 20.09.2017

डॉ0 अनवर हुसैन, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–667 / 03), तत्कालीन अंचल अधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पांकी के विरूद्ध उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–1790 / गो0, दिनांक 16.07.2011, जो प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर के पत्रांक–1230, दिनांक 11.09.2012 के माध्यम से प्राप्त है, के द्वारा प्रपत्र–'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें विभागीय वाहन का दुरूपयोग, मुख्यालय में नहीं रहने एवं सरकारी योजनाओं में गंभीर अनियमितता बरतने संबंधी कुल–20 आरोप प्रतिवेदित किये गये।

2. उक्त आरोप प्रपत्र– 'क' सभी साक्ष्यों के साथ संलग्न कर विभागीय पत्रांक–11171, दिनांक 01.10.2012 के द्वारा डॉ0 हुसैन, झा0प्र0से0 से एक पक्ष के अन्दर स्पष्टीकरण की माँग की गई। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर पुनः विभागीय पत्रांक–993, दिनांक 01.02.2013 द्वारा स्मारित करते हुए एक पक्ष के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया फिर भी उनका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ।

3. डॉ0 हुसैन के विरूद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए विभागीय संकल्प सं0–4943, दिनांक–08.05.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, तदेन विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–486, दिनांक 22.09.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रपत्र–'क' में प्रतिवेदित 20 (बीस) आरोपों में से 18 (अठारह) आरोप प्रमाणित पाये गये।

5. डॉ0 हुसैन के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत हुआ जा सकता है। डॉ0 हुसैन के विरूद्ध उक्त प्रमाणित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं तथा सरकारी कार्य एवं कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता को प्रमाणित करता है। साथ ही, यह भी संज्ञान में आया कि सेवाकाल के दौरान विभिन्न पदस्थापन अवधि में इनके विरूद्ध कई आरोप प्रतिवेदित किये गये, जिससे स्पष्ट है कि ये Habitual offender हैं और इसी कारण इनकी सेवा अब तक संपुष्ट नहीं है।

6. अतः समीक्षोपरांत झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–14(xi) के तहत् सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक–6316, दिनांक 18.05.2017 एवं पत्रांक–7649, दिनांक 29.06.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी, जिसके आलोक में डॉ0 हुसैन के पत्रांक–107, दिनांक 13.06.2017 एवं 123/नजा0, दिनांक 07.07.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया।

7. डॉ0 हुसैन के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, बचाव बयान, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में ऐसा कोई भी तथ्य नहीं दिया गया है, जो इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों को खंडित करता है। अतएव डॉ0 हुसैन के द्वारा दिया गया द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीरकण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–14(xi) के तहत् सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया।

8. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2095, दिनांक–20.09.2017 द्वारा डॉ0 हुसैन को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।

9. तत्पश्चात् दिनांक 06.10.2017 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में डॉ0 अनवर हुसैन को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–14(xi) के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

अतः डॉ0 अनवर हुसैन, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–667/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पांकी, संप्रति–कार्यपालक दण्डाधिकारी,

चतरा को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–14(xi) के तहत् सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति डॉ0 अनवर हुसैन, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

11.10.17

(सूर्य प्रकाश)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5/आरोप–1–18/2014 का०–10530/राँची, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर/उपायुक्त, पलामू/उपायुक्त, चतरा/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, चतरा/विभागीय अवर सचिव, प्रशाखा–6 (चारित्री कोषांग)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5/ डॉ0 अनवर हुसैन, झा0प्र0से0, कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.10.17

सरकार के संयुक्त सचिव।